बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ०–09–25 / 2023(स्वा0) ..... /पटना, दिनांकः–.....

डॉ० स्मिता कुमारी **(वरीयता क्र०–19, माइक्रोबायोलॉजी विभाग)** सहायक प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना सम्प्रति राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियॉ के विरूद्ध दिनांक–08.03.2020 से 05.07.2021 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं0–966(9) दिनांक–03.10.2024 द्वारा आरोप–पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। डा० कुमारी द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं०–230(9) दिनांक–13.03.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ० कुमारी के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। विभागीय पत्रांक–1190(9) दिनांक–18.11.2025 द्वारा डॉ० कुमारी से द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) की मॉग की गयी।

3. डॉ० कुमारी द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित कर अवगत करायी गयी कि वे दिनांक–24.05.2019 से PMCH, पटना में संविदा के आधार पर नियुक्त थी। विभागीय अधिसूचना सं०–272(17) दिनांक–27.02.2020 द्वारा डॉ० कुमारी को सहायक प्राध्यापक के मूल कोटि के पद पर चयन किया गया। उनके द्वारा दिनांक–06.03.2020 को PMCH, पटना में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सह–प्राध्यापक के पद योगदान समर्पित किया गया। वे दिनांक–07.03.2020 को होली में पूर्णियाँ घर चली गयी। उरी क्रम में Rheumatoid Arthritis से ग्रसित हो गयी। वे Corticosteroids. को High dose का दवा ले रही थी। स्वास्थ्य में सुधार होने के उपरान्त उनके द्वारा दिनांक–15.12.2020 को संस्थान में योगदान समर्पित की गयी। उनके द्वारा दिनांक–17.12.2020 को विभाग में योगदान समर्पित करने हेतु आवेदन दिया गया। विभागीय अधिसूचना सं0–531(17) दिनांक–30.06.2021 द्वारा डॉ० कुमारी को PMCH, पटना से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ में स्थानान्तरित / पदस्थापित किया गया। प्राचार्य, PMC, पटना के पत्रांक–2594 दिनांक–05.07.2021 द्वारा डॉ० कुमारी को नवपदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु विरमित कर दिया गया। उनके द्वारा दिनांक–06.07.2021 को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ में योगदान समर्पित की गयी।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा० कुमारी के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि डॉ० कुमारी अपने इच्छानुसार पदस्थापन की प्रतीक्षा में थी। पूर्णियाँ जिले में पदस्थापन के उपरान्त उनके द्वारा नियमित रूप से योगदान कर कार्य किया गया। वे बीमारी का हवाला देते हुए दिनांक–08.03.2020 से 05.07.2021 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रही, जिससे चिकित्सीय शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ। फलतः डॉ० कुमारी के विरूद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप में संचयी प्रभाव के साथ 01 (एक) वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक की शास्ति एवं अनुपस्थिति अवधि की गणना किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं करने का विनिश्चय किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–652(9) दिनांक–23.06.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–1688 दिनांक–13.08.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

23/10/2026 कृ०पृ०उ०

15

6. अतएव डॉ० स्मिता कुमारी, सहायक प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना सम्प्रति राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ के विरूद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) के अधीन संचयी प्रभाव के साथ 01 (एक) वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक एवं अनुपस्थिति अवधि (दिनांक–08.03.2020 से 05.07.2021 तक) की गणना किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

7. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ०–09–25/2023(स्वा0) ...../ पटना, दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–09–25/2023(स्वा0) 1593(9B) /पटना, दिनांकः– 23.10.26

प्रतिलिपिः–प्राचार्य/अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना एवं प्राचार्य/अधीक्षक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना एवं पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ/सिविल सर्जन, पटना एवं पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, पटना एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० स्मिता कुमारी, सहायक प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना सम्प्रति राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/10/2026

सरकार के अवर सचिव।